साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें ...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-16 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 29 मई 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

MV Act,1988- बिना बीमा वाहन चलाने पर सिर्फ चालान बनता है या जेल भी होती है, जानिए

Motor vehicle act 1988 section 146 in Hindi

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार प्रत्येक मोटर यान चालक और उसका कोई अन्य सहायक कर्मी को भी तब तक मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा जब तक उसने कोई बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं कर ली है।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 196 की परिभाषा– कोई व्यक्ति जो धारा 146 का उल्लंघन करता है अर्थात बिना बीमा पॉलिसी करवाए वाहन चलाता है या चलवाता है या बीमा नहीं करवाता है तब ऐसे व्यक्ति को तीन माह की कारावास या दो हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यही अपराध वह दोबारा या बार-बार करता है तब तीन माह की कारावास या चार हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

किन वाहनों को चलाने पर बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है जानिए

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।
2. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा।
3. किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या किसी समुचित सरकार के आदेश पर वहन किया जा रहा है।

अर्थात सामान्य शब्दों में कहे तो सभी प्रकार के निजी एवं कमर्शियल व्हीकल चालक को बीमा पॉलिसी लेना आवश्यक है अगर वह बिना बीमा पालिसी के वाहन का उपयोग करता है तब उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है।

सिंहस्थः 2028, श्रद्धालुओं को मिलेगा माँ शिप्रा के जल से स्नान का पुण्य लाभ : मुख्यमंत्री

सुगम संगीत संध्या में दरभंगा की सुश्री मैथिली ठाकुर ने दी संगीतमयी प्रस्तुति

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ = 2028 में 30 किलोमीटर से अधिक लंबाई में निर्मित शिप्रा के घाट श्रद्धालुओं को पुण्य स्नान का लाभ प्रदान करेंगे। मां शिप्रा के स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। लगभग छह दशक बाद यह संभव होगा जब श्रद्धालु सिर्फ माँ शिप्रा के प्रवाहमान जल से सिंहस्थ के लिए पहुंचकर स्नान कर सकेंगे। गत सिंहस्थ = 2016 में माँ नर्मदा के जल से स्नान की सुविधा प्राप्त होने के बावजूद श्रद्धालुओं ने कामना की थी कि मां शिप्रा का जल पूरी तरह से प्रवाहित हो और स्नान लाभ ले सकें। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बाबा महाकाल और संतों के आशीर्वाद से श्रेष्ठ प्रबंध कर हम सिंहस्थ- 2028 को यादगार बनाएंगे। सिंहस्थ के आयोजन से नए कीर्तिमान बनेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मां शिप्रा के आशीर्वाद से समारोह में अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। दीपामलिकाएं देखकर लगता है जैसे दीप पर्व आ गया हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कामना की कि सभी को यश प्राप्त हो। त्रिवेणी से सिद्धनाथ तक शिप्रा जी के घाट पवित्र माने जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ की दृष्टि से अनेक कार्य संचालित हैं, जो सिंहस्थ के आयोजन को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने का कार्य करेंगे।

भारत की मेलजोल की उत्कृष्ट परम्परा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। हाल ही में हुए न्यायालय के निर्णय भी परिपालन की दृष्टि से स्वर्णकाल का आभास करवाते हैं। देश के नागरिक सभी निर्णयों पर भरोसा करते हुए परस्पर सहयोग और समरसता का परिचय दे रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के भूमि-पूजन और लोकार्पण में ऐसे सभी लोग उपस्थित हुए जिन्होंने मंदिर के संबंध में वर्षों तक न्यायालय में मुकदमा लड़ा। हमारे देश में मेलजोल की उत्कृष्ट परम्परा है।

राजभोज का उज्जैन से लेकर भोपाल तक संबंध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजाभोज का उज्जैन से लेकर भोपाल तक संबंध है। धार में भोजशाला में मां वागदेवी की प्रतिमा स्थापित होगी। न्यायालय के निर्णय के बाद यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का शासन काल सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल की याद दिलवाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का हित सर्वोपरि रहा।

जल गंगा संवर्धन अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने तीन माह से अधिक अवधि के जल गंगा संवर्धन अभियान में कुओं- तालाबों, नदियों, पोखर, जलाशय और अन्य जल संरचनाओं के संरक्षण संवर्धन के कार्यों का संचालन किया है। इसमें जनता की भागीदारी भी हो रही है। मध्यप्रदेश नदी जोड़ो अभियान के क्रियान्वयन में अग्रणी बना है। समारोह में दरभंगा से कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए आई गायिका और बिहार विधानसभा की सदस्य सुश्री मैथिली ठाकुर ने भजन प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व सुश्री ठाकुर का मध्यप्रदेश आगमन पर स्वागत किया।

Article 33- भारत में किन नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं

भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिकों को कुल छः प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनका वर्णन हमने पूर्व के लेखों में कर दिया। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं अर्थात भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकते हैं उसके लिए अनुच्छेद 33 में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 33 की परिभाषा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 भारत की संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर निम्न वर्गों के व्यक्ति को मिलने वाले मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है–

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

1. सभी सशस्त्र बल (पुलिस बल, रेलवे आदि सभी), सेना (जल, थल, वायु तीनों) के सैनिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर।
2. लोक व्यवस्था रखने वाले सभी बलो के सदस्यों की एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के ब्यूरो संगठन (CBI, IB, CID, खुफिया (गुप्त) विभाग आदि) के सदस्यों के मौलिक अधिकार पर।
3. कुछ हद तक मीडिया, न्यूज, संचार सेवाओं, सूचना सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकार पर।

कुलमिलाकर कहें तो उपर्युक्त वर्ग के लोग आम नागरिकों से अलग होते हैं और सेवा काल में यह वर्ग अपने विभागीय कर्तव्यों से बंधे होते हैं, जैसे पुलिस सेवा के सदस्य पुलिस विनियमो से इसी प्रकार सेना के सदस्य सेना विधि से आदि। इस लिए इनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गंगा दशहरे पर नीलगंगा पहुंचकर किया माँ गंगा की प्रतिमा का पूजन और अभिषेक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंगा दशहरे के पावन अवसर पर नीलगंगा पहुंचकर माँ गंगा की प्रतिमा की पूजा और अभिषेक किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सिंहस्थ-2028 में सनातन का वैभव पूरी दुनिया देखेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में माँ शिप्रा के घाटों पर साधु-संतों की भावना अनुसार सनातन की गरिमामयी परम्परा अनुसार सिंहस्थ-2028 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रतिवर्ष की परंपरा अनुसार नीलगंगा परिसर पहुंचे, जिसे गुप्त गंगा का स्थान माना गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव हर वर्ष यहां पर आकर पूजन-अर्चन करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीलगंगा परिसर में माँ गंगा का पूजन-अभिषेक कर गुप्त गंगा के दर्शन किये और प्रदेश की जनता की शुभ मंगल स्वास्थ्य, उन्नति, तरक्की की कामना की।

नीलगंगा जूना अखाड़ा पर गंगा दशहरा के अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरि महाराज अध्यक्ष श्रीमहंत रविन्द्र पुरी महाराज, शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज नारायणगिरी जी महाराज उपस्थित रहे।

सगौर कुएं हादसा : विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने पीड़ित परिवारों को बंधाया ढांढस

मृत तीन मासूम बच्चियों के परिजनों को सौंपे चार-चार लाख रुपये सहायता राशि के स्वीकृति पत्र

रायसेन।

जिले की गैरतगंज तहसील के आदिवासी बहुल ग्राम सगौर में हुए दर्दनाक कुएं हादसे के बाद सोमवार को क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी गांव पहुंचे। उन्होंने हादसे में मृत तीन मासूम बच्चियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और शासन की ओर से स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि के पत्र सौंपे।

विधायक डॉ. चौधरी ने पीड़ित परिवारों से कहा कि इस दुख की घड़ी में शासन और प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। उन्होंने परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।

एक-दूसरे को बचाने में चली गई तीन मासूमों की जान

गौरतलब है कि शनिवार सुबह ग्राम सगौर की तीन बालिकाएं गांव के कुएं में नहाने के लिए गई थीं। इसी दौरान एक बालिका का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बालिका भी कुएं में उतर गई, जबकि तीसरी बच्ची ने दोनों को बचाने की कोशिश की। लेकिन एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में तीनों मासूम बच्चियां पानी में डूब गईं और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई।

गांव की पेयजल व्यवस्था सुधारने अधिकारियों को दिए निर्देश

मृत बालिकाओं के परिवारों को मिली आर्थिक सहायता

हादसे में मृत बालिकाओं में अमृता पुत्री रामगोपाल आदिवासी (12 वर्ष), तनु पुत्री हल्केराम आदिवासी (12 वर्ष) एवं राधा पुत्री हल्केराम आदिवासी (11 वर्ष) शामिल हैं।

राज्य शासन द्वारा आरबीसी 6-4 के अंतर्गत तीनों मृत बालिकाओं के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने पीड़ित परिजनों को सहायता स्वीकृति पत्र सौंपते हुए कहा कि स्वीकृत राशि शीघ्र ही उनके खातों में पहुंच जाएगी। पेयजल समस्या के समाधान के दिए निर्देश ग्राम सगौर पहुंचने के दौरान विधायक डॉ. चौधरी ने गांव की पेयजल व्यवस्था की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि गांव में एक नवीन सामुदायिक कूप की स्वीकृति हो चुकी है और इसका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा जल्द शुरू कराया जाएगा।

विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में शीघ्र और सुचारु पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष वीर सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता बृजेश चतुर्वेदी, भागचंद चौरसिया, जनभागीदारी समिति अध्यक्ष हरिनारायण धाकड़, सरपंच सैयद मसूद अली पटेल, भगवान सिंह लोधी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में अनुविभागीय अधिकारी अंकित जैन, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नरेश सिंह राजपूत, जनपद पंचायत सीईओ पूजा जैन तथा एसडीओ आरईएस नरेश ठाकरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

'स्वीकृति बाद में, बिल पहले' ग्राम पंचायत बतौडी में 20 लाख के स्टॉपडैम निर्माण पर उठे सवाल

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल। जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत बतौडी में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे स्टॉपडेम निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है तथा पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है।

जानकारी के अनुसार उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति 7 मई को प्राप्त हुई, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 9 मई को प्रशासकीय स्वीकृति ली गई। हैरानी की बात यह है कि सरपंच-सचिव द्वारा 10 मई को ÷वाला जी ट्रेडर्स÷ का जो बिल लगाया गया, उसमें सामग्री सप्लाई की तारीख 4 एवं 5 मई दर्ज बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति ही नहीं मिली थी, तब सामग्री खरीदी और बिल जारी कैसे हो गया?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर निर्माण कार्य शुरू हुए बिना ही भुगतान निकालने की तैयारी कर ली गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा मामला शासकीय राशि के दुरुपयोग और फर्जी बिलिंग से जुड़ा हो सकता है। लोगों ने कलेक्टर एवं जनपद पंचायत से मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की है। सूत्रों के अनुसार यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो लाखों रुपए की राशि बिना कार्य के ही निकाल ली जाती। अब यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत लपरी - तालाब निर्माण में भारी अनियमितताएं, उपयंत्री और सचिव पर लगा सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल (मध्य प्रदेश) - जिले के ग्राम पंचायत लपरी में शासकीय धन के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ तालाब के सौंदर्यीकरण और मेड (घाट) निर्माण के नाम पर भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उपयंत्री और सचिव की मिलीभगत से निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और शासन की राशि को कागजों में खर्च दिखाकर बंदरबांट की जा रही है।

निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों के अनुसार, तालाब के किनारे बनाए जा रहे पक्के घाट और मेड का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं है। कार्यस्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता अत्यंत दयनीय दिखाई दे रही है।

ग्रामीणों का कहना है-

घटिया सामग्री - निर्माण कार्य में न तो सही गुणवत्ता वाली ईंटों का उपयोग किया गया है और न ही सीमेंट-मसाले का अनुपात सही है, जिससे निर्माण के अभी से टूटने का डर बना हुआ है। नियमों की अनदेखी - बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञ की देखरेख के मनमाने ढंग से निर्माण किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा घाट- ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सरपंच और सचिव ने मिलीभगत कर काम के नाम पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है और भारी कमीशनखोरी की गई है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

यह पूरा मामला जिला शहडोल , लपरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक तरफ सरकार जल संरक्षण के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।

ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने निर्माण कार्य की जांच नहीं की और दोषी अधिकारियों/प्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिला कलेक्टर से मिलकर मामले की शिकायत करेंगे।

बिजुरी हत्याकांड व रीवा साध्वी हत्याकांड के विरोध में शिवसेना ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, थाना प्रभारी को हटाने की मांग

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

कोतमा/अनूपपुर, 24 मई 2026। शिवसेना शहडोल संभाग अध्यक्ष पवन पटेल के निर्देश पर अनूपपुर जिला अध्यक्ष राजेश महाराणा ने आज स्छरू कोतमा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजुरी में 20 वर्षीय युवती की हत्या और मामले के एकमात्र गवाह 17 वर्षीय अमन यादव की संदिग्ध मौत तथा रीवा में दो जैन साध्वियों की कार से कुचलकर की गई हत्या की घटनाओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया।

जिला अध्यक्ष राजेश महाराणा ने कहा, ÷जब से बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने पदभार संभाला है, क्षेत्र में जघन्य अपराधों की बाढ़ आ गई है। गवाह तक सुरक्षित नहीं है। यह कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता है। राज्यपाल महोदय से हमारी मांग है कि थाना प्रभारी को तत्काल हटाया जाए और दोनों मामलों की CBI जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में हो।÷

शिवसेना की प्रमुख मांगें:

1. दोनों हत्याकांडों के आरोपियों को 3 माह में फास्ट ट्रैक कोर्ट से मृत्युदंड
2. गवाह अमन यादव की मौत की CBI जांच

3. पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी
4. म.प्र. में ÷संत सुरक्षा अधिनियम÷ लागू हो
5. थाना प्रभारी बिजुरी का तत्काल स्थानांतरण जिला अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिवस में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना लोकतांत्रिक तरीके से उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर अध्यक्ष बरकत कुरैशी, त्रिदेव महाराणा, दुर्गेश चौधरी, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

हिमेंद्र और मनोज के कार्यक्षेत्र की होनी चाहिए जांच,आवेदन के एक माह बाद भी नहीं हो रहा असर

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल। जनपद पंचायत जयसिंहनगर अंतर्गत दो उपर्यत्रियों के कार्य क्षेत्र की अधिकारियों को करनी चाहिए जांच पर जनपद पंचायत के अधिकारी स्वयं मेहरबान दिखाई दे रहे हैं यह बड़े शर्म की बात है जहां शासन जनहितैषी कार्यो पर लगातार बल दे रही है वहीं इन उपयंत्रियों द्वारा अधिकारियों के सह से उन कार्यो पर चूना लगाने का काम करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं।

उच्चाधिकारी बने मूक दर्शक

जनपद पंचायत जयसिंहनगर से लेकर जिला पंचायत शहडोल तक के अधिकारी सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं आखिर हिमेंद्र पटेल और मनोज का ऐसा कौन सा जादू है जो अधिकारियों को मुक्त दर्शक बने पर मजबूर कर रहा है यही नहीं बल्कि इनकी इतनी बड़ी पकड़ कहां से है

जो उनके सामने अधिकारी नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं जिला पंचायत अधिकारी जिनके बारे में यह सुना गया है कि इनके द्वारा अपने कार्य के प्रति ईमानदारी बखूबी से निभाया जाता है पर क्या जनपद पंचायत जयसिंहनगर के क्षेत्र में इस गुणगान का असर है नहीं तभी तो उनके अंतर्गत ग्राम पंचायतो में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आवेदन करने के बाद भी आवेदक सिर्फ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अधिकारियों को भी पता है की जांच होने पर पोल उन्हीं की खुलने वाली है तभी तो आवेदन का असर नहीं हो पा रहा।

कौन देगा जानकारी

जब भी हिमेंद्र और मनोज के क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो यह नहीं समझ में आता की क्षेत्र में कार्य तो इनके द्वारा कराया जाता है पर कागज कहीं नहीं मिल पाता उपर्यत्रियो द्वारा यह कहा जाता है कि कागज ग्राम पंचायत में है तो वही ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा यह कहा जाता है कि संबंधित कागज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो कार्य करवाने के बाद कागज जाता कहां है जहां इन उपयंत्रियों को कार्य करवाने के बाद कागज की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए पर उनके द्वारा उसे ग्राम पंचायत पर थोपने का काम किया जाता है यह कहां तक न्याय उचित है और इनके उच्चाधिकारी द्वारा इन्हें किस तरह की समझाइए दी जा रही है यहां तो वही कहावत चरितार्थ होते नजर आ रही है चोर-चोर मौसेरे भाई क्योंकि अगर यह नहीं होता तो आवेदन करने के एक माह बाद भी आवेदन ठंडे बस्ती में नहीं पड़ा होता।

कागज़ी कार्य व पत्राचार होंगे डिजिटल माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में ई-ऑफिस परियोजना लागू

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भोपाल जिले में ई-ऑफिस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कलेक्टर कार्यालय भोपाल में सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट (CRU) अर्थात केंद्रीकृत डाक इकाई की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था जिले में शासन की पेपरलेस कार्यालय अवधारणा को साकार करने तथा प्रशासनिक कार्यो को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।16 जनवरी 2025 के निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी विभागों में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत समस्त जिला विभाग प्रमुख,राजस्व अनुभाग अधिकारी, तहसीलदार तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों को ई-ऑफिस परियोजना पर ऑनबोर्ड किया गया है। ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर कार्यालय भोपाल में स्थापित सेंट्रल

रेजिस्ट्रेशन यूनिट का ई-मेल पता cru-dmbhopal@eauth.in निर्धारित किया गया है। अब कलेक्टर कार्यालय भोपाल को प्रेषित किए जाने वाले आधिकारिक पत्र एवं दस्तावेज इसी डिजिटल माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ई-ऑफिस पोर्टल एवं सीआरयू प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ई-ऑफिस परियोजना विशेषज्ञों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस के तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कागज के उपयोग में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

हवाई हमले जैसी इमर्जेंसी से निपटने एनडीआरएफ एसडीईआरएफ का संयुक्त मॉक अभ्यास

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) एवं होमगार्ड्स के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में हवाई हमले (एरियल अटैक) जैसी आपात स्थिति से निपटने हेतु व्यापक मॉक अभ्यास (मॉक ड्रिल) आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का परीक्षण, त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा तथा नागरिकों को आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक करना था। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सायरन बजते ही एनडीआरएफ एवं एसडीईआरएफ की टीमों ने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए बचाव अभियान प्रारंभ किया। बहुमंजिला आवासीय भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को रोप रेस्क्यू तकनीक और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अग्निशमन दल ने कृत्रिम रूप से उत्पन्न आग की स्थिति पर

तत्काल नियंत्रण कर अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया अभ्यास में स्वास्थ्य विभाग की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ तथा 108 एम्बुलेंस सेवाओं ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने तथा गंभीर मरीजों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इसके लिए परिसर में अस्थायी फील्ड हॉस्पिटल एवं मेडिकल ट्राइएज सेंटर भी स्थापित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ऐसी मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना तथा न्यूनतम समय में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। अभ्यास के समापन पर स्थानीय नागरिकों को ब्लैकआउट, सुरक्षित आश्रय स्थलों के उपयोग तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी गई।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण अभ्यास था, जिसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत बनाना है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

कलमकार के कलम को रोकने का किया जा रहा प्रयास,अधिकारियों पर भारी पड रहें दोनों उपयंत्री

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

शहडोल। जहां पत्रकार को चौथा स्तंभ, समाज का दर्पण कहा जाता है वही भ्रष्टाचारियों द्वारा उस समाज के दर्पण पर चादर डालने का काम किया जा रहा है तभी तो भ्रष्टाचारियों का एक तरफा बोल वाला दिखाई दे रहा है अगर समाज में दर्पण दिखाने वाले पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर समाज का क्या होगा और लोकतंत्र पर भारी पडना भ्रष्टाचारियों के लिए आम बात हो जाएगी। जहां समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए पर वही उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है दर्पण दिखाने वाले पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या यह न्याय उचित है। इन दिनों जनपद पंचायत जयसिंहनगर के दो उपयोग यांत्रिक मनोज शुक्ला एवं हिमेंद्र पटले समाचार पत्र में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं उनके कार्य क्षेत्र में कार्य की जांच की मांग शायद इन्हें परेशानियों में डालता

नजर आ रहा है क्योंकि इनके द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों में अपनी सहभागिता किस आंदोलन से दी गई यह किसी से नहीं छुपा है इनकी कहानी अगर लिखी जाए तो कई किताबें बन सकती है इनके द्वारा लापरवाही अपने कार्यक्षेत्र में खुलेआम की जा रही है और इस पर जहां उच्च अधिकारियों को लगाम कश्मीर चाहिए पर लगाम की जगह की इन्हें और खुली छूट दे दी गई है।

खबर से बौखलाया उपन्यत्री

आवेदक द्वारा जब जनपद पंचायत जयसिंहनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास आवेदन कर संबंधित उपयंत्री के कार्य क्षेत्र में हुए कार्यों की जांच अपने समक्ष कराने हेतु निवेदन किया गया, किंतु एक माह बीतने के बाद भी आवेदन ठंडे बस्ते में हीं पड़ा रहा। जिसके बाद आवेदक द्वारा पुन स्मरण पत्र के माध्यम से आवेदन कर पुन उसी विषय की जांच के लिए सात दिवस का अवसर प्रदान किया गया, लेकिन आज दिनांक तक कार्यवाही शून्य दिखाई दे रही है जब इन विषयों को लेकर खबर प्रशासन की झड़ी लगी तो उपयंत्री मनोज शुक्ला बौखलाते हुए आस्तीन का सांप वाली कहावत सामने वाले के लिए कह डाली, जबकि वास्तव में यह कहावत किस पर लागू होती है उस पर जिसे शासन ने सही कार्य करवाने हेतु जिम्मेदारी दी है किंतु उनके द्वारा उस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे। जिसके लिए शासन वेतन भुगतान करती है या फिर उस सामने वाले पर जो इनकी जिम्मेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है क्योंकि अगर इनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जाती तो जांच का प्रश्न कैसे उठाता और जब इनके द्वारा क्षेत्र में सही कार्य कराया गया है तो फिर डर किस बात का है क्योंकि लोगों को पता है कि इनके द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य किस प्रकार से कराया जाता है पब्लिक है ये सब जानती है क्या एक जिम्मेदार उपयंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए इनका यह शब्द केवल इन पर ही नहीं अपितु जनपद से लेकर जिला पंचायत की स्थिति दर्शाता है कि उस विभाग में कितने सभ्य लोग हैं उनके द्वारा कहावत तो व्यवस्थित कर दिया गया पर इसका अर्थ इन्हें कितनी बखूबी से पता है वह वही बता सकते हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम जनपद में बना दिखावा: सूचना अधिकार अधिनियम इसलिए बनाया गया है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और इसकी एक सीढी बनाई गई है जिससे आवेदन करने वाले को सही समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। किंतु क्या जनपद पंचायत जयसिंहनगर में ऐसा हो रहा है जब दोनों उपयंत्रियों का इन्हीं के कार्य क्षेत्र एवं उनसे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनपद में आवेदन कर चाही गई । किंतु वही हिमेंद्र पटले द्वारा अपनी गलती को ग्राम पंचायत पर थोपने का काम किया जा रहा है। जहां अपने बचाव में उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि दस्तावेज ग्राम पंचायत में जमा है जब जानकारी इनसे मांगी जा रही है और इनसे संबंधित है तो इन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखना है यह बाकी है की प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या समय सीमा में जानकारी प्रदान करवा पाएंगे।

जन अधिकार मोर्चा ने छत्तीसगढ़ की सभी बसों में स्पीड कंट्रोलर लगाने की मांग की

जगदलपुर, 26 मई 2026। जन अधिकार मोर्चा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर, बस्तर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की सभी यात्री बसों में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड कंट्रोलर) अनिवार्य रूप से लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में प्रतिदिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जान जा रही है तथा कई परिवार असमय दुख और संकट का सामना कर रहे हैं। जन अधिकार मोर्चा का कहना है कि निजी ट्रेवल्स एवं यात्री बसों की तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बन रही है। निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से बसों का संचालन यात्रियों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

संगठन ने हाल ही में रायपुर- बस्तर मार्ग पर हुई एक दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि तेज रफ्तार बस के पलटने से एक शिक्षिका की मृत्यु हो गई, जिससे प्रदेशभर में शोक की स्थिति बनी। संगठन का मानना है कि यदि बसों की गति नियंत्रित रहे तो ऐसी अनेक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

जन अधिकार मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रदेश की सभी यात्री बसों में स्पीड कंट्रोलर उपकरण लगाना अनिवार्य

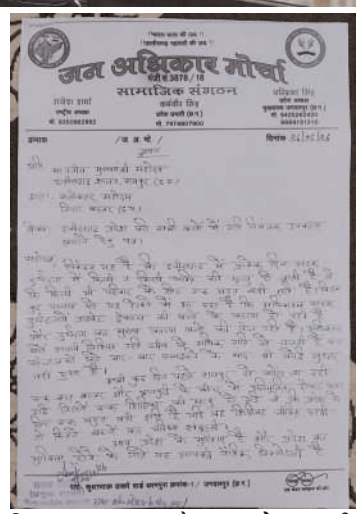

किया जाए तथा इसके पालन हेतु प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी।

इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी ज्ञापन का समर्थन किया और सड़क सुरक्षा को जनहित का महत्वपूर्ण विषय बताया।इस अवसर पर चंद्रिका सिंह,रवि तिवारी,जयंत साहू,विनय मंडल, धीरेन्द्र ठाकुर,मान सिंह,किरण देवांगन आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भीम आर्मी की समीक्षा बैठक संपन्न, संगठन विस्तार और अनुशासन पर दिया जोर

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक

मऊगंज। रीवा संभाग के नवनिवेशित जिला मऊगंज में भीम आर्मी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के सभी मुख्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संगठन की मजबूती पर विचार-विमर्श किया।

बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के प्रदेश सचिव व मुख्य संभाग प्रभारी आजाद विजय वर्मा एवं संभाग अध्यक्ष सत्येंद्र साकेत मुख्य रूप से मौजूद रहे।

अनुशासन और संगठन विस्तार पर चर्चा-बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और पूर्व पदाधिकारियों को संगठन की रीति-नीति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया गया-

संगठन का विस्तार- आगामी समय में गांव-गांव तक भीम आर्मी की पहुंच मजबूत करने और नए सदस्यों को जोड़ने की रणनीति बनाई गई।

अनुशासन सर्वोपरि- पदाधिकारियों को याद दिलाया गया कि किसी भी संगठन की रीढ़ उसका अनुशासन होती है। सभी को अनुशासित रहकर समाज हित में कार्य करने की सीख दी गई।

पूर्व पदाधिकारियों का अनुभव- संगठन के पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों के अनुभवों का लाभ उठाकर क्षेत्र में सामाजिक चेतना जगाने पर जोर दिया गया। ÷संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के अनुशासन और उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। मऊगंज जिले में भीम

आर्मी को हर वर्ग तक पहुँचाना और पीड़ित शोषितों की आवाज बनना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है।÷

आजाद विजय वर्मा,प्रदेश सचिव

बैठक के अंत में स्थानीय पदाधिकारियों ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान मऊगंज जिले के भारी संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।

दक्षिण शहडोल वन मंडल में समूह से अलग होकर भटक रहे नर हाथी का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

अनूपपुर एवं दक्षिण शहडोल वन मंडल के वन क्षेत्रों में कई दिनों से विचरण कर रहे नर हाथी ई-5 को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का बड़ा अभियान सम्पन्न किया गया।हाथी ई-5 के कारण हाल के दिनों में मानव-हाथी संघर्ष की अनेक घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जनहानि, मवेशियों की क्षति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं शामिल थीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण शहडोल वन मंडल के केशवाही रेंज में व्यापक रेस्क्यू एवं ट्रांसलोकेशन ऑपरेशन प्रारंभ किया गया।बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, दक्षिण शहडोल, उत्तर शहडोल एवं अनूपपुर वन मंडलों की संयुक्त टीमों द्वारा अभियान संचालित किया गया।रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले लगातार जमीनी निगरानी, रात्रिकालीन गश्त, ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग, हाथी की गतिविधियों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग तथा ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य किया गया। संवेदनशील गांवों में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार अलर्ट जारी किए गए और वन अमले ने स्थानीय समुदायों के साथ चौबीसों घंटे समन्वय बनाए रखा। रणनीति के तहत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों, महावतों, वन्यजीव चिकित्सकों एवं वन अमले की विशेष टीम को मौके पर तैनात किया गया। प्रशिक्षित हाथियों का उपयोग ई-5 की गतिविधियों को नियंत्रित करने, दिशा-निर्देशन तथा व्यवहारिक स्थिरता बनाए रखने में किया गया।ऑपरेशन क्षेत्र का 20 मई को विस्तृत निरीक्षण कर अंतिम रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की गई। वन्यजीव चिकित्सकों की विशेषज्ञ टीम भी मौके पर पहुंची। उसी शाम महावतों ने कुमकी हाथियों के साथ ई-5 से प्रथम

संपर्क स्थापित किया। इस दौरान हाथी ई-5 ने कुमकी हाथी 'रामा' के साथ शांत एवं गैर-आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया। इससे विशेषज्ञों को यह समझने में मदद मिली कि हाथी सामाजिक रूप से अपने झुंड से अलग हो चुका है तथा तनावग्रस्त स्थिति में लगातार विचरण कर रहा है। इसके बाद सक्रिय रेस्क्यू ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया गया।22 मई की को ट्रैंक्विलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ सक्रिय रेस्क्यू अभियान प्रारंभ हुआ। हाथी को जीपीएस कॉलर पहनाने तथा ट्रांसपोर्ट क्रेट में लोड करने की प्रक्रिया के दौरान उसने तीव्र प्रतिरोध किया, जिससे ट्रांसपोर्ट पिंजरे एवं जीपीएस कॉलर को आंशिक क्षति पहुंची। कठिन परिस्थितियों और हाथी के व्यवहार को देखते हुए अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित कर रातभर पिंजरे की मरम्मत, रणनीति का पुनर्मूल्यांकन तथा नई कार्ययोजना तैयार की गई।23 मई को अभियान पुनः शुरू किया गया और इस बार पूरी प्रक्रिया अत्यंत सटीकता एवं समन्वय के साथ सम्पन्न हुई। पशु चिकित्सकों की निगरानी में क्रमिक ट्रैंक्विलाइजेशन, रेडियो कॉलरिंग तथा नियंत्रित तरीके से हाथी को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट वाहन में लोड किया गया। इस महत्वपूर्ण चरण में प्रशिक्षित हाथियों, क्रेन, जेसीबी मशीनों एवं मेडिकल टीमों का समन्वित सहयोग लिया गया। कई तकनीकी चुनौतियों एवं उपकरणों की क्षति के बावजूद पूरी कार्रवाई बिना किसी जनहानि के सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। इसके बाद हाथी ई-5 को आगे की निगरानी एवं पुनर्वास के लिए सुरक्षित रूप से बांधवगढ़ परिक्षेत्र भेजा गया।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस आयुक्त ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

पुलिस आयुक्त भोपाल संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के विरूद्ध एवं भोपाल में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि, जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उन्हें प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट, जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य

घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश, जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।

कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। भोपाल शहर की सीमा में किसी भी साइबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र, जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटोयुक्त, पैन कार्ड या ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे के स्वामी संचालक द्वारा समस्त आगंतुकों,प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिसमें उनका हस्तलिखित नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो, इसके बिना सायबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साइबर कैफे में बिना कैमरा लगाए जिसमें प्रत्येक आगंतुक प्रयोगकर्ताओं की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।भोपाल नगर की सीमा में उपरोक्त गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

न्याय के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका : विधायक

विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न मॉक ट्रायल में अपने उद्बोधन में कहा ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के विधिक ज्ञान, तार्किक क्षमता और नेतृत्व कौशल को निखारने का उत्कृष्ट मंच हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में व्यावहारिक विधिक समझ विकसित करते हैं तथा न्याय के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं विभागाध्यक्ष शिवाकांत मौर्य के नेतृत्व में मॉक ट्रायल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय अतिथि गोकुल पटेल एवं महाविद्यालय की ओर से डॉ. महेंद्र कुमार पटेल की विशेष उपस्थिति रही। मॉक ट्रायल में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पर आधारित चर्चित प्रकरण राज्य दिल्ली बनाम कुलजीत सिंह उर्फ रंगा एवं जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला (1978) का मंचन किया गया। विद्यार्थियों ने न्यायालयीन प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन करते हुए अपने अभिनय एवं विधिक कौशल का प्रभावशाली परिचय दिया। मॉक ट्रायल में न्यायाधीश की भूमिका तनुश्री तोमर, लोक अभियोजक की भूमिका संस्कार गुप्ता तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की भूमिका प्रार्थना गौर एवं शिवम् यादव ने निभाई। सूत्रधार की भूमिका नबीला कुरैशी ने प्रस्तुत की। वहीं रजत यादव, जुगल किशोर, पुष्पक शर्मा, वंशिता, प्रतीक, अनुराधा, स्वाति, एरम बानो, गरिमा, जान्हवी, सचिन एवं अंजलि ने साक्षी, पीड़ित पक्ष के संबंधी, पुलिसकर्मी एवं चिकित्सकों की भूमिकाएं निभाई। कार्यक्रम के अंत में मूट कोर्ट प्रभारी राजदीप सिंह भदौरिया ने आभार व्यक्त किया।

28 मई 'माहवारी स्वच्छता दिवस': योजनाओं के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बेटियां

जिस विषय पर आज भी समाज खुलकर बात करने से झिझकता है, उसी विषय से हर महीने करोड़ों बेटियों और महिलाओं का जीवन जुड़ा होता है। माहवारी कोई बीमारी, कमजोरी या शर्म का कारण नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दिया गया एक सामान्य और आवश्यक जैविक चक्र है। विडंबना यह है कि जिस विषय को सबसे अधिक संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ समझे जाने की आवश्यकता है, उसी पर आज भी मौन, संकोच और उपेक्षा हावी है। 28 मई को मनाया जाने वाला ÷माहवारी स्वच्छता दिवस÷ केवल एक जागरूकता दिवस नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच, सरकारी व्यवस्थाओं और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की वास्तविक परीक्षा भी है। आज देश डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े अभियानों की बात कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई अब भी बेहद चिंताजनक है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों ने मध्यप्रदेश की वास्तविक स्थिति को सामने रखा है, जहां हजारों बेटियां केवल इसलिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो रही हैं क्योंकि स्कूलों में पीरियड्स के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में लगभग 17 प्रतिशत बेटियों का स्कूल छूट रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माहवारी के दौरान साफ शौचालय, स्वच्छ पानी और उचित सेनेटरी प्रबंधन का अभाव है। यह आंकड़ा केवल प्रतिशत नहीं बल्कि उन लाखों सपनों की कहानी है जो असुविधाओं और उपेक्षा के कारण दम तोड़ देते हैं। स्थिति की गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि कक्षा 6 से 8 तक छात्राओं का नामांकन 82.7 प्रतिशत रहता है, लेकिन 9वीं-10वीं तक आते-आते यह घटकर 68.2 प्रतिशत रह जाता है और 11वीं-12वीं तक पहुंचते-पहुंचते केवल 46.9 प्रतिशत लड़कियां ही शिक्षा से जुड़ी रह पाती हैं। अर्थात लगभग 53 प्रतिशत बेटियां उच्च शिक्षा तक पहुंचने से पहले ही स्कूल व्यवस्था से बाहर हो जाती हैं। यह किसी भी समाज और सरकार के लिए बेहद गंभीर चेतावनी है। सबसे दुखद तथ्य यह है कि प्रदेश के लगभग 11.4 प्रतिशत स्कूल आज भी छात्राओं के लिए शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। अनेक स्कूलों में न साफ पानी है, न डिस्पोजल की व्यवस्था और न ही माहवारी के दौरान

कुमारी प्रियंका
[लेखिका: सामाजिक कार्यकर्ता विचारक-चिंतक]

आवश्यक स्वच्छ वातावरण। ऐसे में किशोरियां हर महीने असहजता, संक्रमण, मानसिक दबाव और सामाजिक संकोच का सामना करती हैं। कई छात्राएं पीरियड्स के दिनों में स्कूल नहीं जातीं और धीरे-धीरे शिक्षा से उनकी दूरी बढने लगती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर परिस्थिति में सेनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन केवल योजनाओं की घोषणाएं, विज्ञापन और दावे पर्याप्त नहीं होते। जब तक योजनाएं जमीन पर दिखाई न दें, तब तक उनका वास्तविक उद्देश्य अधूरा ही माना जाएगा। दरअसल यह समस्या जितनी बड़ी दिखाई देती है, उसका समाधान उतना ही सरल और व्यवहारिक है। यदि सरकार चाहे तो प्रत्येक जिले और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सेनेटरी पैड निर्माण इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं। इससे एक साथ कई समस्याओं का समाधान संभव है। छात्राओं को समय पर सस्ते और सुरक्षित सेनेटरी पैड मिलेंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। इसके साथ स्कूलों में सुरक्षित एवं अलग शौचालय, रनिंग वाटर, साबुन, डिस्पोजल यूनिट और माहवारी के प्रति संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि केवल शिक्षा का अधिकार देना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना भी जरूरी है जहां बेटियां सम्मानपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें। माहवारी कोई शर्म का विषय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, सम्मान और अधिकार का विषय है। जब तक देश की हर बेटी बिना भय, संकोच और असुविधा के स्कूल नहीं जा पाएगी, तब तक महिला सशक्तिकरण के दावे अधूरे रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, समाज, शिक्षा व्यवस्था और हम सभी मिलकर इस विषय को संवेदनशीलता से समझें। यदि आज भी हमारी बेटियां केवल इसलिए स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि वहां साफ शौचालय, पानी या एक सेनेटरी पैड उपलब्ध नहीं है, तो यह केवल व्यवस्था की कमी नहीं बल्कि समाज की संवेदनहीनता का प्रमाण है। महिला सम्मान केवल भाषणों और नारों से साबित नहीं होता, बल्कि उन बुनियादी सुविधाओं से होता है जो हर बेटी को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देती हैं। माहवारी पर मौन नहीं, सार्थक संवाद और ठोस व्यवस्थाओं की आवश्यकता है; क्योंकि जब बेटियां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपने सपनों से समझौता करने को मजबूर होती हैं, तब केवल उनका भविष्य ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होती है।

एड. अनिकेत दीपांकर बने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) मध्यप्रदेश लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

भोपाल÷ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एड. अनिकेत दीपांकर को मध्यप्रदेश लीगल सेल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तथा लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एड. सुशील कुमार की सहमति से की गई।

LOK JANSHAKTI PARTY (Ram Vilas)
(Founder: Late Shri Ram Vilas Paswan, LJP & Dalit Sena)

Adv. Sushil Kumar
(Advocate, Supreme Court of India)
National President (Legal Cell)

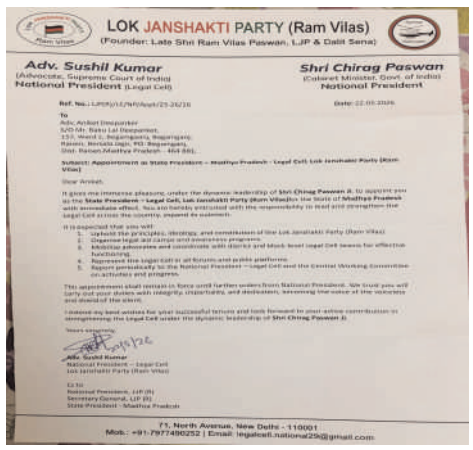

Shri Chirag Paswan
(Cabinet Minister, Govt. of India)
National President

Subject: Appointment as State President – Madhya Pradesh - Legal Cell, Lok Janshakti Party (Ram Vilas)

71, North Avenue, New Delhi - 110001
Mob.: +91-7977490252 | Email: legalcell.national25@gmail.com

नियुक्ति के बाद एड. अनिकेत दीपांकर ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, वे उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने Chirag Paswan एवं एड. सुशील कुमार का धन्यवाद ज्ञापित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

गैस-पिटरोल मा आगी लगे हे,
पिटरोल पंप मा रात बीतत हे।
ओती हमर ओ विस्व गुरु हा,
जुमला बाजी के पानी छींतत हे।।
आम जनता संकट मा पर गे,
घर-परिवार हा बिखरत हे।
धरे कटोरा पिटरोल ला मांगत,
वो फकीर बिदेस किंजरत हे।
लक्ष्मी नारायण कुम्भकार 'सचेत'
दुर्ग (छ0ग0)

राशन पर्ची न मिलने से परिवार परेशान- राजौरिया

सीएमओ, एसडीएम, कलेक्टर एवं कमिश्नर को कई बार दिए जा चुके हैं आवेदन

डबरा। नगर पालिका परिषद डबरा के वार्ड क्रमांक 16 की पार्षद श्रीमती सुनीता महाराज सिंह राजौरिया ने डबरा नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि शहर के पात्र हितग्राहियों की राशन पर्चियां जानबूझकर लंबित रखी जा रही हैं, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवार शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पार्षद श्रीमती राजौरिया ने कहा कि शहर के सभी वार्डों के अनेक परिवार ऐसे हैं जिनके सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने के बावजूद उनकी पात्रता पर्ची पोर्टल पर अपडेट नहीं की जा रही है। इसके चलते सैकड़ों परिवार राशन से वंचित हैं और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं तथा जिला कलेक्टर ग्वालियर एवं संभागीय कमिश्नर ग्वालियर को लिखित आवेदन सौंपकर जल्द निराकरण की मांग कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि कुछ हितग्राहियों की पर्ची खाद्य विभाग के यहां लंबित है। पार्षद श्रीमती सुनीता राजोरिया ने कहा कि नगरपालिका कार्यालय में आम

जनता को केवल आश्वासन देकर लौटाया जा रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द सभी लंबित राशन पर्चियां जारी नहीं की गई, तो वे वार्ड एवं शहर की जनता के साथ नगरपालिका कार्यालय का घेराव करने को मजबूर होंगी। पार्षद ने कहा कि गरीब जनता को उनके अधिकारों से वंचित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और वे अंतिम समय तक जनता की आवाज उठाती रहेंगी।

क्या सच में किसान अन्नदाता है?

अपनी ही फसल का बीज दुगने दाम में खरीदने को मजबूर किसान

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

भोपाल न्ठ भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हमारे समाज में किसान को अन्नदाता का सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज यह प्रश्न पूछना आवश्यक है कि क्या अन्नदाता शब्द किसानों के लिए गर्व की बात है या फिर एक ऐसी उपाधि है? आज हमें जागरूकता की ओर बढ़ते हुए यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारी थाली तक अनाज उत्पादन प्रक्रिया क्या है? किसानों को दुखों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आज वही किसान सबसे अधिक संघर्ष और चिंता में जीवन जी रहा है। खेती के नाम पर हुए बड़े बदलाव की स्थिति में किसान, संघर्ष और परेशानियों को झेल रहा है क्योंकि मेरी चिंता एक किसान से और जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं, मैं खेतों में उनका दर्द देखता हूँ। मालवा क्षेत्र में मुख्यतः खरीफ की फसल के रूप में सोयाबीन की प्रमुखता रहती है और रबी फसल के रूप में गेहूँ और चना बोया जाता है। हर वर्ष जब वर्षा का समय

नजदीक रहता है तब किसान अपने खेतों में कार्य करते दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें अब फसल लगानी होती है। सोयाबीन किसान सोयाबीन की फसल बोने के और उससे मिलने वाले पैसे उनके 8 महीनों की रोजी-रोटी चलाने का काम करते हैं। उसके मुख्य कारण यह हैं कि इसके बाद जो फसल कटती उसका समय मार्च-अप्रैल होता है। परंतु आज किसान चिंतित है और उनकी चिंता का कारण है सोयाबीन फसल के लिए बीज क्योंकि पिछले 3 वर्षों से सोयाबीन की फसल अधिक वर्षा के कारण नष्ट हो चुकी है। इससे किसानों को अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब किसान अपनी उपज मंडी में बेचते हैं, तब सोयाबीन का मूल्य लगभग 4 से 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक होता है, लेकिन वही सोयाबीन के बीज की कीमतें 9 से 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच जाती हैं। यानी किसान अपनी ही उपज को दुगने कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि किसान जिस बीज की फसल बेच रहा है उसी भाव में उन्हें फसल के बीज मिले। बीज की समस्या किसानों की अकेली समस्या नहीं है। किसान अनाज भंडारण, मौसम, आर्थिक स्थिति, गरीबी, बढ़ती महंगाई, कर्ज, और फसलों के उचित मूल्य जैसी कई परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं। यदि सरकार किसानों को जीवन स्तर और बीज उपलब्ध कराए, तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है।

गोटीराम अहिरवार जिला रायसेन कांग्रेस कमेटी के सचिव नियुक्त

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेनन्ठ जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस नेता गोटी राम अहिरवार को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई है। नवनियुक्त सचिव गोटी राम अहिरवार ने अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना तथा आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी

कटनी में मुस्लिम संगठन की बड़ी मांग! गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अनिवार्य

कटनी

कटनी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद कटनी इकाई द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह मांग समाज में आपसी भाईचारा, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर खान ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एवं मध्यप्रदेश के मुफ़्तिये आज़म मौलाना अहमद साहब के विचारों का समर्थन करते हुए कटनी इकाई ने भी यह मांग रखी है। उन्होंने कहा कि गाय हिंदू

समाज की आस्था का प्रमुख प्रतीक है, इसलिए उसके सम्मान और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है और गौवंश संरक्षण के लिए सख्त कानूनी प्रावधान बनाए जाते हैं, तो गाय के नाम पर होने वाले विवादों, हिंसा और सामाजिक तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। संगठन का मानना है कि इससे समाज में शांति और सौहार्द का वातावरण मजबूत होगा। इस अवसर पर हाफिज़ अब्दुल रहीम सहित जमीयत उलेमा-ए-हिंद कटनी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठन ने सभी समुदायों से आपसी सम्मान, भाईचारे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

बरेली की बेटी ऋषिका सोनी ने बनाई मंत्री नरेंद्र पटेल की तस्वीर मंत्री पटेल ने दिया बेटी को आशीर्वाद कहा आपका स्नेह ही मेरी ऊर्जा है

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

बरेलीन्ठ बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिबाजी पटेल ने नगर की बेटी ऋषिका सोनी से भेंट की बता दें कि ऋषिका सोनी नगर के पत्रकार राकेश सोनी की बेटी है और कक्षा 4 की छात्रा है इन्होंने अपने हाथों से मंत्री पटेल की तस्वीर बनाई जिसको भेंट करने आज वह अपने पिता के साथ कार्यालय पहुंची जहां उन्होंने यह तस्वीर मंत्री पटेल को भेंट की इसपाल के दौरान जनसुनवाई में उपस्थित सभी जनों ने इस क्षण को सहज महसूस किया और एक नन्ही कलाकार कि कला को देखते हुए सभी के चेहरों पर खुशी छा गई इस भेंट को स्वीकार करते हुए मंत्री पटेल ने नन्ही बिटिया ऋषिका के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और उसको आने वाले भविष्य में उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने इस पल को हृदय से महसूस करते हुए कहा कि नन्हे कलाकार द्वारा मेरी जो तस्वीर बनाई यह मेरे लिए ऊर्जा का काम करेगी मैं बिटिया के घर भी जाऊंगा और यह पल मेरे लिए असीम खुशी का पाल है इस दौरान एसडीएम संतोष मुद्गल एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती थाना प्रभारी कपिल गुप्ता तहसीलदार रामजीलाल बर्मा एवं कार्यालय में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी नन्ही कलाकार को शुभकामनाएं दी।

गंगा दशहरा पर मां नर्मदा तट बोरास में निकली भव्य कलश यात्रा

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/रायसेनन्ठ जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के अंतर्गत गंगा दशहरा के अवसर पर विकासखंड उदयपुरा, जिला रायसेन में मां नर्मदा के बोरास तट पर भव्य कलश यात्रा एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड उदयपुरा की नवांकुर संस्था शिव शक्ति फाउंडेशन उदयपुरा एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बोरास दुरा द्वारा किया गया। इस दौरान मां नर्मदा जी में प्रदूषण न फैले, इस विषय पर ग्रामवासियों

से संवाद किया गया तथा स्वच्छता एवं संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में विकासखंड समन्वयक राममोहन रघुवंशी, सुनीता दुबे, श्री प्रमोद सिंह चौहान, राजित राजपूत, महेंद्र शुक्ला, भगवान सिंह राजपूत, परामर्शदाता गीता व्यास, भारत छीपाजी, देवेंद्र राठी सहित अन्य समाजसेवी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कानूनी शिक्षा अब केवल वकालत तक सीमित नहीं रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध : डॉ. महेंद्र कुमार पटेल

नर्मदापुरम के शासकीय विधि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ डॉ. महेंद्र कुमार पटेल पिछले लगभग 15 वर्षों से विधि शिक्षा, करियर मार्गदर्शन, लेखन और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने विधि विषय के अध्यापन के साथ-साथ अनेक शैक्षणिक, विधिक जागरूकता एवं करियर परामर्श प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति, विधि क्षेत्र में रोजगार के अवसर और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में निरंतर मार्गदर्शन देने वाले डॉ. पटेल से एक विशेष भेंट में उनसे की गई बातचीत के प्रमुख अंश प्रस्तुत है -

प्रश्न - वर्तमान समय में विधि शिक्षा को आप किस रूप में देखते हैं?

उत्तर - आज विधि शिक्षा का स्वरूप बहुत व्यापक हो चुका है। पहले लोग इसे केवल वकालत से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब विधि के क्षेत्र में रोजगार और करियर की अनेक संभावनाएं विकसित हुई हैं। न्यायिक सेवा, कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, साइबर कानून, मानवाधिकार, प्रशासनिक सेवाएं, कराधान और विधिक परामर्श जैसे क्षेत्रों में विधि विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है।

प्रश्न - क्या केवल एलएल.बी. की पढ़ाई से भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं?

उत्तर - निश्चित रूप से, एलएल.बी. करने के बाद विद्यार्थी अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वे न्यायिक सेवा परीक्षा, लोक अभियोजक, विधिक सलाहकार, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, कॉर्पोरेट कंपनियों तथा विभिन्न शासकीय विभागों में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज लगभग हर संस्था को विधिक विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न - एलएल.एम. करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या संभावनाएं हैं?

उत्तर - एलएल.एम. विद्यार्थियों को विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसके बाद अध्यापन, शोध, विश्वविद्यालय सेवा, विधिक अनुसंधान, नीति निर्माण तथा उच्च स्तरीय विधिक परामर्श के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। जो विद्यार्थी अकादमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत उपयोगी है।

प्रश्न - विद्यार्थियों के लिए सही करियर चयन कितना महत्वपूर्ण है?

उत्तर - यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थी दूसरों को देखकर निर्णय ले लेते हैं, जिससे आगे चलकर असंतोष और

तनाव बढ़ता है। मेरा मानना है कि करियर हमेशा रुचि, क्षमता और कौशल के आधार पर चुनना चाहिए। सही मार्गदर्शन विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक क्षमता पहचानने में सहायता करता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है।

प्रश्न - वर्तमान समय में विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव को आप कैसे देखते हैं?

उत्तर - प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण विद्यार्थियों में मानसिक दबाव भी बढ़ा है। ऐसे समय में परिवार, शिक्षक, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विद्यार्थियों को सकारात्मक वातावरण और सही सलाह मिले, तो वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं और तनाव से भी काफी हद तक बच सकते हैं।

प्रश्न - करियर निर्माण में माता-पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए?

उत्तर - माता पिता को बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझना चाहिए। माता पिता के ऊपर सामाजिक दबाव रहता है, जब परिवार बच्चों को उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देता है, तब उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, माता पिता और अभिभावकों के पास जीवन का व्यापक अनुभव का भंडार होता है, उनकी सलाह, समझ और मार्गदर्शन सही निर्णय लेने, गलतियों से बचने तथा बेहतर करियर चयन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।

प्रश्न - एक सफल करियर के लिए आप क्या आवश्यक मानते हैं?

उत्तर - मेरे मत अनुसार सफल करियर की तीन मजबूत आधारशिलाएं हैं - रुचि, जुनून और कौशल चातुर्यता जिस कार्य में रुचि हो, जिसे करने का जुनून हो और जिसमें व्यक्ति दक्षता प्राप्त कर सके, वही सही करियर बनता है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी ताकत, कमजोरी, अवसर को पहचानना होगा।

प्रश्न - विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश क्या है?

उत्तर - विद्यार्थियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे कहावत है ना कि एक ही नाव की सवारी करना चाहिए अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है अपने में बहुआयामी क्षमता विकसित करना होगा। उन्हें अपनी क्षमता पहचानकर निरंतर सीखने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। सही दिशा, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अंत में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, तो इसे इस रूप में लें कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी ना पड़े और हम उसको पा भी जाएं इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना, वही सच्ची और स्थायी जीत है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।

तेज रफ्तार ट्रक ने मचाया उत्पात, कई वाहन व दुकानें क्षतिग्रस्त, मामला दर्ज, ट्रक व चालक की तलाश जारी

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर/कोतमा। कोतमा नगर के गहरवार प्रेस के पास में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए जमकर उत्पात मचा दिया। ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों, दुकानों एवं अन्य सामानों को टक्कर मार दी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए तथा दो लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कोतमा थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वॉर्ड क्रमांक 12 गोविंदा कालरी निवासी जावेद खान पुत्र जहीर खान की गहरवार प्रेस के पास इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। मंगलवार रात लगभग 8:50 बजे वे अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान शारदा मंदिर रोड की ओर से ट्रक क्रमांक MH43 CQ 6715 का चालक सोनू सोनकर पिता प्यारेलाल सोनकर निवासी गेट दफाई भालूमाडा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुए वहां पहुंचा और दुकान के सामने खड़ी टीवीएस मोटरसाइकिल क्रमांक CG16 C 5046 को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल जावेद खान के ऊपर गिर गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों

के अनुसार ट्रक चालक ने वाहन को पीछे करते समय दुर्गेश चौधरी निवासी ग्राम ऊरा की मोटरसाइकिल क्रमांक CG16 C 9321 को भी टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के दौरान मनोज जैन गन्ना वाले की कुर्सियां टूट गईं, वहीं अनिमेश प्रताप सिंह की दुकान की छत एवं शटर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद भी ट्रक चालक नहीं रुका और ट्रक लेकर गोविंदा कालरी की ओर भागने लगा। भागते समय ट्रक चालक ने अभिषेक सिंह उर्फ विक्की निवासी भालूमाडा की कार को भी टक्कर मार दी तथा मुक्तेश्वर मिश्रा निवासी वार्ड क्रमांक 13 लहसुई कैम्प की मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए उन्हें घायल कर दिया। कोतमा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा ट्रक एवं आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

थाना रामनगर पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त में स्थाई वारंटियों की धरपकड़

06 स्थाई वारंट, 02 गिरफ्तारी वारंट तामील

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर / रामनगर पुलिस अधीक्षक महोदय विक्रांत मुराब,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के कुशल मार्गदर्शन में जिले में दिनांक 27.05.2026 की रात्रि में कॉम्बिंग गश्त आदेशित की गई थी। उक्त अभियान के दौरान वारंटियों की धरपकड़ हेतु थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी गई।

कॉम्बिंग गश्त के दौरान स्थाई वारंटियों -

1. राहुल कोल पिता सजन कोल, उम्र 20 वर्ष, निवासी विशेषर दफ़ाई 2. ददुआ कोल पिता तिमाली कोल, उम्र 55 वर्ष, निवासी विशेषर दफ़ाई 3. राजेश लकड़ा पिता बहादुर लकड़ा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पौराधार 4. राममिलन कोल पिता सेमला कोल, उम्र 40 वर्ष, निवासी विशेषर दफ़ाई 5. शनि मलिक पिता स्व. राजू मलिक, उम्र 19 वर्ष, निवासी चर्च के सामने राजनगर 6. सचिन उर्फ डिस्क पिता स्व. राजू मलिक, उम्र 30 वर्ष, निवासी चर्च के सामने राजनगर के तामील किए गए हैं । साथ ही गिरफ्तारी वारंटी प्रकरण में- 1. राहुल चन्द्रा पिता शिव प्रसाद चन्द्रा, उम्र 23 वर्ष, निवासी आमाडांड के मृत हो जाने पर परिजनों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया व 2. दयानिधान यादव पिता सीताराम यादव, उम्र 65 वर्ष, निवासी न्यू डोला थाना रामनगर के मृत हो जाने पर परिजनों से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रामनगर सुमित कौशिक के साथ एएसआई विनोद नाहर, प्रधान आरक्षक सनत द्विवेदी, प्रधान आरक्षक अमित पटेल, प्रधान आरक्षक निरंजन खलखो, आरक्षक अनुराग भार्गव एवं आरक्षक मूरत सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)